तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज सप्लाई विविध प्रार्थना–पत्र संख्या 03/2021 श्री सरकार जरिये पवर्तन निरीक्षक जिला रसद कार्यालय डूंगरपुर बनाम सुरेश कुमार तेली	नम्बर व तारीख अहकाम की इस हुक्म की तामील में जारी हुए

18.08.2021

पत्रावली आज अप्रार्थी श्री सुरेश कुमार पिता श्री गणेशलाल तेली निवासी रायकी तहसील आसपुर जिला डूंगरपुर बहैसियत मालिक द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 A आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत महिन्द्रा बोलेरो पिक–अप वाहन टैंकर 2020 का तेल टैंकर जिसका रजिस्ट्रेशन नम्बर RJ 12 GA 5229 को छुडवाने बाबत पेश करने पर प्रस्तुत हुई है। उक्त प्रार्थना पत्र पर अनुसंधान में वाहन की आवश्यकता होने के संबंध में विद्वान अभिभाषक एवं पुलिस थाना कुंआ के पत्र क्रमांक 1488 दिनांक 14.07.201 द्वारा बताया कि उक्त वाहन का प्रकरण में अनुसंधान पूर्ण हो चुका है।

विभागीय पेरोकार ने बताया कि विपक्षी का उक्त वाहन पेट्रोलियम पदार्थ (बायोडिजल) का अवैद्य परिवहन करने से 1200 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ (बायोडिजल) पुलिस थाना आसपुर को मय टैंकर जप्ती में दिया गया है। अप्रार्थी के विरूद्ध 3/7 ई.सी. एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। विभागीय पेरोकार ने बताया कि उक्त वाहन का प्रकरण में अनुसंधान पूर्ण हो चूका है। टैंकर वाहन संख्या RJ 12 GA 5229 में भरा हुआ 1200 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ (बायोडिजल) की सुपर्दगी करने के उपरान्त जप्त शुदा टैंकर को सुपर्दगी नामा एवं जमानत प्रस्तुत करने पर रिहा किया जा सकता है।

अप्रार्थी के अभिभाषक ने बताया कि प्रार्थी का जप्त शुदा वाहन पिछले 4 माह से ज्यादा समय से पुलिस थाना आसपुर के परिसर में पडा–पडा खराब हो रहा है और वाहन को अनिश्चित समय तक थाने में रोके नहीं रखा जा सकता है, जिन्हें सुपुर्दगीना एवं जमानत पर छोडा जाना न्यायोचित है। विपक्षी के अभिभाषक ने जप्तशुदा टैंकर में 1200 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ को अपने खर्चे से खाली करा वाहन छुडाने हेतु अनुरोध किया गया है। उक्त वाहन लम्बे समय तक पुलिस थाना आसपुर के रख–रखाव के अभाव में मशीनरी खराब होने का अंदेशा है। प्रार्थी उक्त वाहन को मुक्त कराने हेतु सुपुर्दगीनामा एवं जमानत प्रस्तुत करने तैयार है। उक्त वाहन को रिलिज किये जाने की प्रार्थना की है।

अप्रार्थी के अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना एवं संलग्न दस्तावेज का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। उक्त महिन्द्रा बोलेरो पिक–अप वाहन टैंकर 2020 का तेल टैंकर जिसका रजिस्ट्रेशन नम्बर RJ 12 GA 5229 के संबंध में 8,00,000 रुपये (अक्षरे आठ लाख रूपये) का सुपुर्दगीनामा एवं 8,00,000 रुपये (अक्षरे आठ लाख रूपये) की जमानतनामा निम्न शर्तों के साथ प्रस्तुत करने पर रिलिज किये जाने के आदेश दिये जाते है कि अप्रार्थी द्वारा प्रकरण का अन्तिम निस्तारण होने तक वाहन में किसी प्रकार का कोई रद्दोबदल एवं बेचान नहीं किया जावे। न्यायालय को जब भी वाहन की आवश्यकता होगी अप्रार्थी वाहन को सुपुर्द करने हेतु पाबन्द रहेगा। वाहन संख्या RJ 12 GA 5229 में करीब 1200 लीटर अवैद्य कथित पेट्रोलियम पदार्थ भरा हुआ

है, को खाली करने के लिए ड्रम अप्रार्थी स्वयं उपलब्ध कराकर थानाधिकारी आसपुर को 1200 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ सुपुर्द किया जावे। थानाधिकारी पुलिस थाना आसपुर जिला डूंगरपुर को निर्देश है कि इस प्रकरण में जब्त वाहन की अन्य किसी मामलें में आवश्यकता नहीं होने की दशा में उक्त वाहन पंजीकृत स्वामी को माफिक आदेश 8,00,000 रुपये (अक्षरे आठ लाख रूपये) का सुपुर्दगीनामा एवं 8,00,000 रुपये (अक्षरे आठ लाख रूपये) की जमानत नामा प्रस्तुत करने पर तथा वाहन के मूल दस्तावेजों से मिलान करने के बाद लौटाया जावे। बाद तस्दीक सुपुर्दगीनामा एवं जमानतनामा इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करे। निर्णय अनुसार पालना करने हेतु थानाधिकारी आसपुर को लिखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 18 08.2021 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुरेश कुमार ओला)
जिला कलक्टर
डूंगरपुर

जिला कलक्टर
डूंगरपुर

न्यायालय जिला कलक्टर
डूंगरपुर (राजस्थान)